

यह प्रार्थना पत्र सरकार निर्देश
 तहसीलदार जयपुरमगढ की ओर
 से क्रमांक चाम 136 UR Act
 के तहत पेअ किया। प्रार्थना पत्र
 दर्प रजिस्ट्रार हो। तहसीलदार को
 की जारी होकर दिनांक 27/11
 को पेअ हो। रूप

27/11

रूप खण्ड अधिकारी

पत्रारली पेअ रूप खण्ड अधिकारी
 सरकार उपरीषत। तहसीलदार
 जयपुरमगढ ने राज्य सरकार की
 DR URM के तहत ग्राम नरपपुर
 को चालू जमावती संन 2023-26
 के आते की जाय की गई
 हो पापा गपा कि ब्याग सरपपा
 27 के बरग 32 रुका 0.01 W हो
 33 रुका 2.5000 के हिस्सा
 का मिलान करने पर उन्हेवात
 संन 2065- काणा वर्ष के
 अनुसार हिस्सा रही नही है कर्नात
 हिस्सा। हे अविड है कतराणप्राण
 काश्तकारी कश्चिणपत्र की धारा
 88 के तहत वाड प्रखर कए
 निवेदन किया कि विकुप पत्र के
 कलाम हुअत करने हेतु निवेदन
 किया है।

यह कलाम / कृषिसेवाग डाइट
 के रहने वाले है उनकी वामील
 करना पूर्ण पत्र नही होने के
 कारण वामील कराना सम्भव नही
 है इसीलिए पत्रोका तज्कार
 ने कई मोक निवेदी राज्य सरकार
 की DR URM संन 2065 के तहत
 पेअ की। रूप


रूप खण्ड अधिकारी
जयपुरमगढ (जयपुर)

फर्द अहकाम
सरकार बनाम घासी कां

नाम न्यायालय

केस संख्या 124/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>पैरोकार सरकार द्वारा हल्का पयारी, बिमरका व तहसीलदार जगवसामगड की संपुंक्त फर्द नोका रिपोर्ट दिनांक 12/7/18 पर नाना के उपरान्त एक राज्य सरकार की OLCMP योजना के तहत RT नोका की धारा 88 के तहत फर्द नोका के अनुसार हिस्सा दुरस्त करने के कोदेश तहसीलदार जगवसामगड को दिए जाते हैं तहसीलदार जगवसामगड तदनुसार राजस्व रिफार्ड में कम करे</p> <p>निकल्प व फर्द नोका रिपोर्ट की छति तहसीलदार जगवसामगड को पालनार्थ हेतु निम्नलिखित कार्यवाही केवल शुभानु हेतु नोका से कर हो बाद सर्वे कारिल उपर हो</p> <p>निकल्प काज दिनांक 12/7/18 को सुदुर्गे न्यायलय शुभानु वसु</p>	


रवि चण्ड अचिन्सरी
 जगवसामगड (जयपुर)

